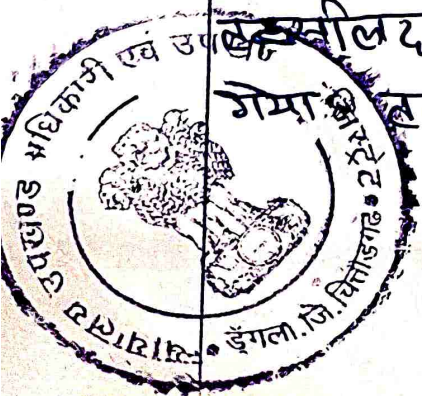


अतः पत्रावली पूर्वदिशानुसार दि. 1.8.11 1/25
को पेश हो।

R

18/11/25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित।
प्रार्थी की मीली पिला रामा गमेरी उम्र बयस्क
निवासी कुम्हारखेड़ा तहसील डूंगला की ओर से
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान
कारतकारी अधिनियम के तहत विपक्षी तहसीलदार
डूंगला के विरुद्ध प्रस्तुत कर विवेदन किया गया
कि ग्राम लोढ़ियाणा पट्टार मण्डल लेढियाणा के
खाता संख्या 251 में वर्णित आराजी नम्बर 1156/316
विषय लेकर प्रार्थी की खारिदारी की है जमाबंदी
मय नक्शा देख पेश किया गया है। यह कि
प्रार्थी अपनी खारिदारी आराजी संख्या 1156/316
पर आवागमन हेतु रास्ता का उपयोग खाता सं. 1
में वर्णित आराजी नम्बर 316 रकबा 0.4106 हेक्टेयर
भूमि जो कि खाता - 1 में सरकारी दर्ज रेकार्ड है
में रास्ता आवागमन हेतु वर्षों से पुराना है तथा
प्रार्थी वर्षों से रास्ता का उपयोग - उपयोग करता
आ रहा है। प्रार्थी के पास इस रास्ते के लिए
भुलावा और कोई वैकल्पिक मार्ग रास्ता उपलब्ध
नहीं होने से बिनासम सरकार आराजी नम्बर
316 में से रास्ता प्रार्थी द्वारा 50 पीट चौड़ा
पुरवठा रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने हेतु
विवेदन किया गया है। इसपर प्रार्थना पत्र को
बाद जांच दर्ज कर विपक्षी भूमिधारी
तहसीलदार डूंगला से जवाब माप्त किया
गया। तहसीलदार डूंगला ने अपने पत्र



उपसचिव अधिकारी एवं
उपनिरीक्षक, डूंगला

FORM No. III

फॉर्म अहकाम

(नियम 26)

अधिकार विभाग, गुवाहाटी-781005

उपखण्ड अधिकारी
गुवाहाटी
मुकाम
गुवाहाटी
त
श्रीमती
बनाम
तहसीलदार
गुवाहाटी
दिनांक
25.11.2025
पृष्ठ
1

हुक्म या कार्यवाही भय इतिथिल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
क्रमांक 1/रजस्व/2025/131 दिनांक 01-10-2025 के द्वारा जांचकर रिपोर्ट प्रेषित कर अवगत कराया गया कि प्राची को अपनी खलेदारी भारजी नम्बर 1156/316 में आने-जाने के लिए कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं देने से इनको आवागमन हेतु आने-जाने के लिए रास्ता एवं प्राची की खलेदारी भारजी के मध्य में स्थित बिलानाम भारजी संख्या 316 में से पाछा गया रास्ता नियमानुसार अधिकतम 30फीट चौड़ा रास्ता तथा 23फीट लम्बाई में नवीन रास्ता के लिए प्रस्तावित किया गया है जिसका कुल क्षेत्रफल $30 \times 23 = 690$ वर्गफीट यानि 0.0064 हेक्टेयर या 64 वर्गमीटर भूमि बनती है। प्राची की भारजी व सड़क के बीच में स्थित सरकारी भूमि जिसमें रास्ता का उपयोग बेव्याह है वहाँ पर रास्ता प्रस्तावित किया गया है वहाँ पर किसी प्रकार का कोई निमिषा कार्य नहीं है। इसलिए उपरोक्त तथ्यों के अनुसार प्राची को अपनी खलेदारी भारजी नम्बर 1156/316 पर आवागमन हेतु मोड़ पर सड़क व प्राची की खलेदारी भारजी नम्बर 1156/316 के मध्य में स्थित बिलानाम भारजी नम्बर 316 में से अधिकतम 30फीट चौड़ा व 23फीट लम्बाई में नवीन रास्ता प्रस्तावित नक्शा ड्रेस के अनुसार दिया जाना उचित पाया गया है। इसलिए प्राची का प्राथमिक अन्तर्गत धारा 251(ए) आर. ये. ए. का अधिकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार गुवाहाटी रास्ता के उपयोग में आने वाली भूमि के क्षेत्रफल की डी.एल. सी. दर की तहसील रजस्व लेखाकार से करवाई जाकर दर की दुपुनी राशि नियमानुसार	



उपखण्ड अधिकारी एवं
मुख्य अधिकारी, गुवाहाटी

हुवम या कार्यवाही मय इनिथिलस जज

10/11/2020

